



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 11 राँची, बुधवार 23 चैत्र, 1944 (श०)
13 अप्रैल, 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 73 - 84

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

25 मार्च, 2022

संख्या-कार्मिक-09/2007- 616--वि०स० | एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की 24 मार्च, 2022 की बैठक में झारखण्ड विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्ता) नियम, 2006 के नियम- 6(1) "कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरहर्ता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में नियम के उपबंधों के अनुसार दी गई अर्ज़ी द्वारा किया जाएगा अथवा अध्यक्ष द्वारा स्वतः संज्ञान (Suo Moto) के आधार पर भी किया जा सकेगा" को निम्न रूप में प्रकाशित किए जाने के संबंध में सभा की सहमति प्राप्त हुई:-

6(1) "कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरहर्ता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार कोई व्यक्ति द्वारा दी गई अर्ज़ी द्वारा किया जाएगा"।

तदनुसार झारखण्ड विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्ता) नियम, 2006 का नियम- 6 (1) संशोधित हुआ।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 मार्च, 2022

संख्या-4/नि०सं०-12-99/2020 का.-1996--श्रीमती अंजली मेहता, झा०प्र०से० (षष्ठम बैच, गृह जिला-हजारीबाग) परीक्ष्यमान उप समाहर्ता, देवघर को दिनांक 15.01.2022 से 13.07.2022 तक कुल 180 दिनों के प्रथम मातृत्व अवकाश की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 907 दिनांक 01.07.2010 तथा संकल्प संख्या- 551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में प्रदान की जाती है ।

2. यह आदेश माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर L.P.A No-201/2021 में दिनांक 23.02.2022 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर S.L.P(C) No-4310/2022 बरुण कुमार एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा सदृश्य मामलों में दायरवादों में पारित होने वाले अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

आदेश

25 मार्च, 2022

संख्या-11/आ०-07/2022-1211--कारा निरीक्षणालय के पत्रांक-601, दिनांक 07.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री राजमोहन राजन, अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गिरिडीह को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करने के आरोप में धुर्वा (तुपुदाना), थाना काण्ड संख्या-55/22, दिनांक 04.03.2022, धारा-354/(ए) भा०द०वि० एवं 8/10 पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया है एवं दिनांक 06.03.2022 को बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची में संसीमित हुए हैं ।

उक्त के आलोक में श्री राजमोहन राजन, अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गिरिडीह को गिरफ्तारी की तिथि 04.03.2022 से झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-99 के तहत निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

2. उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप तिग्गा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 मार्च, 2022

संख्या-4/नि०सं०-12-66/2020 का.-1995--श्रीमती रश्मि खुशबू मिंज,, झा०प्र०से० (षष्ठम बैच, गृह जिला-लोहरदगा) कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला सदर को दिनांक 10.12.2021 से 07.06.2022 तक कुल 180 दिनों के प्रथम मातृत्व अवकाश की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या-907 दिनांक 01.07.2010 तथा संकल्प संख्या-551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में प्रदान की जाती है ।

2. यह आदेश माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर L.P.A. No-201/2021 में दिनांक 23.02.2022 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर S.L.P.(C)NO-4310/2022 बरुण कुमार एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा सदृश्य मामलों में दायर वादों में पारित होने वाले अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 मार्च, 2022

संख्या-4/नि०सं०-12-46/2020 का.-1997--श्रीमती सुमन गुप्ता, झा०प्र०से० (षष्ठम बैच, गृह जिला-हजारीबाग) परीक्ष्यमान उप समाहर्ता, दुमका को दिनांक 10.09.2021 से 07.02.2022 तक कुल 151 दिनों के प्रथम मातृत्व अवकाश की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 907 दिनांक 01.07.2010 तथा संकल्प संख्या- 551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में प्रदान की जाती है ।

2. यह आदेश माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर L.P.A. No-201/2021 में दिनांक 23.02.2022 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर S.L.P.(C) NO-4310/2022 बरुण कुमार एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा सदृश्य मामलों में दायरवादों में पारित होने वाले अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना**8 अप्रैल, 2022**

संख्या- कार्मिक-05/2022-719--वि०स० | सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, राँची के विशेष न्यायाधीश द्वारा केस सं०-R.C. No.- 05 (a)/2010-AHD-R(A) में पारित न्यायादेश में श्री बंधु तिर्की, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, क्षेत्र सं०-66 (मांडर) के विरुद्ध दोषसिद्धि (Conviction) के परिणामस्वरूप जन प्रतिनिधित्व नियम (Representation of People Act) 1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद-191 (1)(e) के प्रावधानों के तहत श्री बंधु तिर्की को दोषसिद्धि की तिथि अर्थात् दिनांक-28.03.2022 के प्रभाव से झारखण्ड विधान सभा की सदस्यता से निरहित किया जाता है ।

मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

31 मार्च, 2022

संख्या-4/नि०सं०-12-46/2020 का.-2103--श्रीमती सत्यबाला सिन्हा, झा०प्र०से० (षष्ठम बैच, गृह जिला-हजारीबाग) परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, दुमका को दिनांक 01.08.2021 से 27.01.2022 तक कुल 180 दिनों के द्वितीय जीवित संतान हेतु मातृत्व अवकाश की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या-907 दिनांक 01.07.2010 तथा संकल्प संख्या-551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में प्रदान की जाती है।

2. यह आदेश माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर L.P.A. No-201/2021 में दिनांक 23.02.2022 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर S.L.P.(C) NO-4310/2022 बरुण कुमार एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा सदृश्य मामलों में दायर वादों में पारित होने वाले अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

6 अप्रैल, 2022

संख्या-1/विविध-832/2012 खंड का०-2189--श्री ए० मुथुकुमार, भा.प्र.से. (झा-2009), निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 21.03.2022 से 01.04.2022 तक कुल 12 दिनों के लिए लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BERNADET TOPPO अन्य नाम BINA TOPO पिता Late EDMUN TOPPO, शपथ पत्र सं० 867, दिनांक 28 मार्च, 2022 के अनुसार BERNADET TOPPO के नाम से जानी जाऊँगी ।
BERNADET TOPPO एवं BINA TOPO दोनों एक ही महिला का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- VILL- SAKEYA,
P.O.- AREYA LONGA (LASSIA),
P.S.- BASIA
DIST.- GUMLA,
PIN - 835229
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ANIL GOP अन्य नाम ANIL YADAV पिता Late RAMCHANDR GOP, शपथ पत्र सं० 710, दिनांक 5 अप्रैल, 2022 के अनुसार ANIL GOP के नाम से जाना जाऊँगा ।
ANIL GOP एवं ANIL YADAV दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- PAHARI TOLA,
SATI MANDIR LANE, RATU ROAD,
RANCHI, G.P.O.- RANCHI,
PIN- 834001
(JHARKHAND)

प्रकाशनार्थ सूचना

में SMT. ANGNESEH GARI अन्य नाम EGNESHIYA KACHHAP पति Late NIRMAL KACHHAP, शपथ पत्र सं० 01004, दिनांक 25 फ़रवरी, 2022 के अनुसार SMT. ANGNESEH GARI के नाम से जानी जाऊँगी ।

SMT. ANGNESEH GARI एवं EGNESHIYA KACHHAP दोनों एक ही महिला का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- VILLAGE- BURHI BERA,
P.O.- BONGAI BERA,
P.S.- TATISILWAI,
DIST.- RANCHI,
PIN - 835103
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

में PARWATI DEVI अन्य नाम DEGNI DEVI (मंगरी देवि) पति PRAMESHWAR MAHTO, शपथ पत्र सं० 4727, दिनांक 5 अप्रैल, 2022 के अनुसार PARWATI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

PARWATI DEVI एवं DEGNI DEVI (मंगरी देवि) तीनों एक ही महिला का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- R/O - PAIKATAND, VILL- KULGO,
P.O.- KULGO,
P.S.- DUMRI,
DIST.- GIRIDIH,
PIN - 825106
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SANJAY BEENA AKANKSHA अन्य नाम S.B. AKANKSHA पिता SANJAY KUMAR DUBEY, शपथ पत्र सं० 405, दिनांक 8 फ़रवरी, 2021 के अनुसार SANJAY BEENA AKANKSHA के नाम से जानी जाऊँगी।

SANJAY BEENA AKANKSHA एवं S.B. AKANKSHA दोनों एक ही महिला का नाम हैं।

PRESENT RESIDENT-- H.NO.-172, OLD A.G. COLONY,
P.S.- ARGORA,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SANJAY BEENA ADITI अन्य नाम S.B. ADITI पिता SANJAY KUMAR DUBEY, शपथ पत्र सं० 406, दिनांक 8 फ़रवरी, 2021 के अनुसार SANJAY BEENA ADITI के नाम से जानी जाऊँगी।

SANJAY BEENA ADITI एवं S.B. ADITI दोनों एक ही महिला का नाम हैं।

PRESENT RESIDENT-- H.NO.-172, OLD A.G. COLONY,
P.S.- ARGORA,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MANOJ SINGH अन्य नाम MANOJ GANJHU पिता Late JAGESHWAR SINGH, शपथ पत्र सं० 13, दिनांक 28 फरवरी, 2022 के अनुसार MANOJ SINGH के नाम से जाना जाऊँगा ।
MANOJ SINGH एवं MANOJ GANJHU दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- NEW COLONY, KODERMA,
P.S.- KODERMA,
WARD NO.-2,
DIST.- KODERMA,
JHARKHAND
